

आदेश न इजालास प्रकाश राजपुरोहित आर्च.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण
प्रकरण संख्या : 147/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
एच. डी. एफ. सी. बैंक लिमिटेड, सी-25, भगवन्त दास रोड, रोट जेवियर स्कूल के सामने, सी-स्कीम
जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. स्वर्गीय श्री राजय कुमार सिंह जशिये विधिक वारिसान,
- A. श्रीमती पूजा कुमारी पत्नी स्व. श्री संजय कुमार सिंह,
- B. श्रीमती तारा देवी माता स्व. श्री संजय कुमार सिंह,
पता: 27, ग्राम बहादुर पतेजी, सिवान, बिहार
एवं यूनिट नं. 43, गोविन्द वाटिका, ग्राम बडारामा, कालवाड़ रोड़, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



Application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :-

1. श्री विनोद कुमार चौहान, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 01.08.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.08.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती पूजा कुमारी पत्नी स्व. श्री संजय कुमार सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 43 का दक्षिणी भाग, गोविन्द वाटिका स्कीम, ग्राम बडारामा, कालवाड़ रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 61.92 वर्गमीटर को बन्धक रख कर कुल राशि 30,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.05.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 30,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 37,69,440/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 16.05.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)



किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा-14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती पूजा कुमारी पत्नी स्व. श्री संजय कुमार सिंह के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. 43 का दक्षिणी भाग, गोविन्द वाटिका स्कीम, ग्राम बडारामा, कालवाड़ रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 61.92 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय अधिकारी को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
- दिनांक 01.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)
 निला मजिस्ट्रेट
 कलकट्टी जयपुर (ग्रामीण)